

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

DM Court Bundi GCMS No. 2023/73  
Decision Date 06/03/2024 Page 1 to 3

56

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं. 56 / प्रा.पत्र / 2023  
( GCMS No. 2023 / 73 )

तारीख दायरा  
27.03.2023

तारीख निर्णय  
06.03.2024

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक,  
शाखा प्लॉट नं.1 न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बून्दी  
(जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

— प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री भैरूलाल गुर्जर पुत्र जगन्नाथ,  
पता—गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम चैनपुरिया, ग्राम पंचायत टोकड़ा,  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
2. श्री रामराज गुर्जर आ. भैरूलाल गुर्जर,  
पता—गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम चैनपुरिया, ग्राम पंचायत टोकड़ा,  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
3. श्रीमती मंदाई बाई गुर्जर पत्नी भैरूलाल,  
पता—गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम चैनपुरिया, ग्राम पंचायत टोकड़ा,  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री. श्यामप्रकाश शर्मा, एडवोकेट।  
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

al

## आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा बून्दी (राज.) में स्थित है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में तदुचित बैंक का कारोबार करने के लिये लाईसेंस प्राप्त है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.01.2020 को कुल रूपये 5,50,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय गूर्जर पुत्र जगन्नाथ की पट्टा नं. 15625 खसरा सं. 205, ग्राम चैनपुरिया, ग्राम पंचायत टोकड़ा, पंचायत समिति हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1026 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 09.12.2021 को अकियान्विति आरित NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 5,84,150.31/- बकाया रकम दिनांक 19.05.2022 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.05.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया गया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त



बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति श्री भैरूलाल गुर्जर पुत्र जगन्नाथ की पट्टा नं. 15625 खसरा सं. 205, ग्राम चैनपुरियां, ग्राम पंचायत टोकड़ा, पंचायत समिति हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1026 वर्गफीट है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार है, पूर्व में—श्री जगदीश की सम्पत्ति, पश्चिम में—श्री मोती की सम्पत्ति, उत्तर में—श्री श्रवण गुर्जर की सम्पत्ति, दक्षिण में—रोड़), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्ब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )  
जिला कलक्टर, बून्दी